अक्सर पूछे जाने वाले सवालः-

वीरता पुरस्कार विजेता और युद्ध विधवाएं

प्र. 1. विभिन्न वीरता पुरस्कार के साथ जुड़े मौद्रिक एवं अन्य लाभ क्या हैं?

उत्तरः मौद्रिक लाभ

(क) स्वतंत्रता पूर्व के वीरता पुरस्कारः- केन्द्र सरकार वीरता पुरस्कार विजेताओं को एक मौद्रिक भत्ते का भुगतान करती है। विवरण इस प्रकार हैं:-

वीरता पुरस्कार	मौद्रिक भत्ता (रुपए प्रति माह)
डिस्टिंग्यूइश सर्विस ऑर्डर (विशिष्ट सेवा आदेश) (डीएसओ)	4000/-
इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट (आईओएम)	4000/-
भारतीय विशिष्ट सेवा पदक (आईएसडीएम)	4000/-
विशिष्ट सेवा क्रॉस (डीएससी)	2800/-
मिलिट्री क्रॉस (एमसी)	2800/-
अधिकारियों के लिए विशिष्ट फ्लाइंग क्रॉस (डीएफसी)	2800/-
विशिष्ट सेवा पदक	2800/-
सेना पदक (एमएम)	2800/-
अन्य रैंक हेतु विशिष्ट फ्लाइंग पदक (डीएफएम)	2800/-

(ख) स्वतंत्रता पश्चात के वीरता पुरस्कारः- पुरस्कार विजेताओं को दिए जाने वाले भत्ते का विवरण इस प्रकार हैं:-

वीरता पुरस्कारों का विवरण	मौद्रिक भत्ता (रुपए प्रति माह)
परम वीर चक्र (पीवीसी)	10,000/-
अशोक चक्र (एसी)	6,000/-
महा वीर चक्र (एमवीसी)	5,000/-
कीर्ति चक्र (केसी)	4,500/-
वीर चक्र (वीआरसी)	3,500/-
शौर्य चक्र (एससी)	3,000/-
एसएम/एनएम/वीएम (वीरता)	1,000/-

(ग) विभिन्न राज्य सरकारों ने भी अपने राज्य अधिवासित वीरताध् विशिष्ट सेवा पुरस्कार विजेताओं को, नकदी के एवज में मौद्रिक भत्ते या भूमि प्रदान करती है।

(घ) इन लाभों को प्राप्त करने की प्रक्रियाः- केन्द्र सरकार के मौद्रिक भत्ते यूनिटध्रेकॉर्ड कार्यालयों द्वारा प्रकाशित भाग-2 के आदेशों के आधार पर दिए जाते हैं।

(ड़) राज्य सरकार के लाभों के संदर्भ में, सीडब्लू-2 विजेताओं की सूची संबंधित रेकॉर्ड/एमपी 5 व 6 सीओओआरडी) को विजताओं के अधिवास स्थिति और स्थायी घर के पते की पुष्टि के लिए सेवा में प्रवेश के समय अग्रप्रेषित करता है। तब सीडब्लू-2 विजेताओं के पूर्ण विवरण, पुरस्कार का विवरण, एमपी 5 व 6 द्वारा अधिवास की पुष्टि और राजपत्र अधिसूचना की एक प्रतिलिपि सहित राज्य सैनिक बोर्ड को पत्र जारी करता है। राज्य सैनिक बोर्ड विभिन्न जिला सैनिक बोर्डों को सूची भेजता है। जिला सैनिक बोर्ड विवरणों का सत्यापन करता है और राज्य सैनिक बोर्ड ध्राज्य राजस्व विभाग पुरस्कार विजेताओं को मौद्रिक अनुदान जारी करता है।

(च) शैक्षिक रियायतः इसका विवरण सीडब्लू 3 व 4 से प्राप्त किया जा सकता है।

(छ) पेट्रोल पंप/गैस एजेंसियां/व्यावसायिक आवंटनः विवरण महानिदेशक पुनर्वास (पुनर्वास महानिदेशालय) से प्राप्त किया जा सकता है।

प्र. 2 वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया, लेकिन राजपत्र अधिसूचना प्राप्त नहीं होने या राजपत्र अधिसूचना खो जाने पर क्या कर सकते हैं?

उत्तरः विजेता पूरा विवरण, जैसे पुरस्कार का नाम और जिस वर्ष प्रदान किया गया, उसका ब्यौरा देते हुए निम्न पते पर सीडब्लू-2 प्रभाग को लिख सकते हैं:-

एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (सेना)

एडजुटेंट जनरल शाखा

सेरेमोनियल एंड वेलफेयर डीटीईध्सीडब्लू-2

साउथ ब्लॉक, कमरा नं-279सी

नई दिल्ली -110011

दूरभाषः 011/23018193

राजपत्र अधिसूचना निम्न पते से भी प्राप्त की जा सकती हैः-

(क) भारत सरकार

प्रकाशन विभाग, पुराना सचिवालय .

सिविल लाइन्स, विधान सभा के पीछे,

दिल्ली-110054

दूरभाषः 011-23813302, 011-23813761, 011-23817640, 011-23819689

(ख) किताब महल

सी-5, बाबा खड़क सिंह मार्ग,

निकट बंगला साहिब गुरुद्वारा, नई दिल्ली .

दूरभाषः 011-23363708

(ग) ूूू.महं्रमजजम.दपब.पद (वेबसाइट)

प्र. 3 वीरता पुरस्कार प्राप्त हुआ, लेकिन पर्चमेंट (चर्मपत्र) प्राप्त नहीं हुआ?

उत्तरः चर्मपत्र चक्र श्रृंखला के पुरस्कार के लिए ही दिया जाता है। यह प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एमएस (एक्स) से निम्न पते पर संपर्क किया जा सकता हैः-

आईएचक्यू, रक्षा मंत्रालय (सेना)

सेना सचिव शाखाध्एमएस (एक्स)

साउथ ब्लाक, नई दिल्ली-110011

दूरभाषः 011/23018161

प्र. 4 1999 से पहले सेना पदक मिला, लेकिन यह पता नहीं कि पुरस्कार वीरता या विशिष्ट सेवा के लिए दिया गया। ऐसे में क्या करें?

उत्तरः इस संबंध में एमएस (एक्स) से संपर्क किया जा सकता है क्योंकि पुरस्कार की प्रकार से संबंधित प्रमाणपत्र एमएस (एक्स) के द्वारा ही जारी किए जाते हैं।

प्र. 5 पदक/पर्चमेंट के खोन/चुराए जाने/दुर्घटना में बर्बाद होने पर क्या करें?

उत्तरः यदि पदक या पर्चमेंच खो/चोरी/बर्बाद हो जाता है तो ऐसी स्थिति में डीएमआर एंड एफ को निम्न पते पर एफआईआर की प्रति के साथ पत्र भजने की सलाह दी जाती हैः-

डायरेक्टरेट ऑफ मिलिट्री रेग्युलेशंस एंड फॉर्म्स

वेस्ट ब्लॉक-प्ट, विंग सं. 3, आरके पुरम

नई दिल्ली-110066

प्र. 6 विधवाओं या नजदीकी संबंधी को मिलने वाले मौद्रिक भत्ते के निलंबन/बंद होने की स्थिति में या वीरता पुरस्कार प्राप्त न होने की स्थिति में किससे सपर्क करें?

उत्तरः ऐसे मामलों में, व्यक्ति को सीडब्लू-2 से पुरस्कार के पूरे विवरण, जैसे पुरस्कार का नाम, पुरस्कार प्राप्त होने का वर्ष आदि के साथ संपर्क करना चाहिए। इसके अनुसार सीडब्लू-2 सीडीए/पीसीडीए, इलाहाबाद को निर्देशित करेगा।

प्र. 7 यदि मौद्रिक भत्ते पुरानी दर पर मिल रहे हों तो इन्हें नई दर के अनुसार समायोजित कैसे कराएं?

उत्तरः ऐसे मामलों में, व्यक्ति को पुरस्कार के पूरे विवरण के साथ सीडब्लू-2 से मिलना चाहिए। सीडब्लू-2 तब उसकी स्वीकृति हेतु मामले को सीडीएध् पीसीडीए के समक्ष रखेगा।

प्र 8. पुरस्कार के नकल एवं पदक की प्रतिकृति हेत किससे संपर्क करें?

उत्तरः डीएमआरएफ किसी वीरता पुरस्कार की प्रतिकृति नहीं बनाता। लेकिन यदि रक्षा मंत्रालय स्वीकृति दे तो विजेता या उसके नजदीकी संबंधी को पदक का नकल जारी किए जाने का प्रावधान है। इसके लिए विधवा को सर्व प्रथम पदक की लागत मिलिट्री रिसिवेवबल ऑर्डर के द्वारा सरकारी खजाने में जमा कराना होगा। पदक की लागत का पता डीएमआर एंड एफ से किया जा सकता है। इसके बाद वे एक आवेदन पत्र सरकारी खजाने में जमा कराई गई रकम की पर्ची के साथ निम्न पते पर भेज सकती हैः

निदेशक,

डायरेक्टरेट ऑफ मिलिट्री रेग्युलेशंस एंड फॉर्म्स

वेस्ट ब्लॉक-प्ट, विंग सं. 3, आरके पुरम

नई दिल्ली-110066

दूरभाषः 011-26106225, 011-26108666

प्र 9 वतंत्रता से पूर्व दिए जाने वाले 'जंगी इनाम' के संबंध में किससे मिला जाए?

उत्तरः यदि 'जंगी इनाम' के मौद्रिक भत्ते विजेका को न मिल रहे हों, तो इस संबंध में पीसीडीए(पी) इलाहाबाद से जंगी इनाम के प्रमाणपत्र एवं अन्य संबंधित दस्तावेज के साथ संपर्क किया जा सकता है। उक्त दस्तावेज सीडब्लू-2 के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं।

प्र 10 क्या गुममशुदा/विकलांग या मोर्चे पर शहीद हुए सौनिकों के एनओके या आश्रित (वार्ड) शिक्षा में किसी रियायत के हकदार हैं?

उत्तरः गुममशुदा/विकलांग या मोर्चे पर शहीद हुए सौनिकों के एनओके या आश्रित (वार्ड) निम्न लाभ के हकदार हैः

1. (क) **ट्यूशन फीसः-** शिक्षण संस्थानों द्वारा लिए गए ट्यूशन फीस (शैक्षिक संस्था के स्कूल बस या रेलवे पास हेतु दी गई वास्तविक रकम संस्था के प्रमुख द्वारा प्रमाणित बस का किराया) की पूर्ण अदायगी, लेकिन कैपिटेशन एवं कॉशन मनी को छोड़कर।

(ख) **हॉस्टल शुल्कः-** बोर्डिंग स्कूल एवं कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बोर्डिंग एवं लॉजिंग शुल्क की पूर्ण अदायगी।

(ग) **किताब/स्टेशनरी की लागतः-** प्रति छात्र प्रति वर्ष रुपए 1000 (एक हजार रुपए) मात्र या छात्र द्वारा दावे की रकम, जो भी कम हो।

(घ) **यूनिफॉर्म की लागत, जहां आवश्यक हो-**ः प्रथम वर्ष में रुपए 1700 (एक हजार सात सौ रुपए) मात्र एवं अगले वर्षों हेतु रु. 700 (सात सौ) मात्र प्रति वर्ष प्रति छात्र या छात्र द्वारा दावे की रकम, जो भी कम हो।

(ड़) **कपड़ेः** प्रथम वर्ष में रुपए 500 (पांच सौ रुपए) मात्र एवं अगले वर्षों हेतु रु. 300 (तीन सौ) मात्र प्रति वर्ष प्रति छात्र या छात्र द्वारा दावे की रकम, जो भी कम हो।

2**. प्रमाण**

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, ईएसडब्लू डी(आरईएस) विभाग, पत्र सं. 6-1/2009/शिक्षा रियायत/प्प्/डी (आरईएस) दिनांकित 25 अक्टूबर 2010.

3. **पात्रता**

(क) दो बड़े जीवित बच्चे मात्र, जब बच्चों की संख्या दूसरे जन्म के कारण दो से अधिक हो।

(ख) उपरोक्त शैक्षिक रियायत पहली कक्षी से 2 कक्षा पहले से लेकर प्रथम स्नातक पाठ्यक्रम तक के लिए उपलब्ध है।

(ग) यदि एक बच्चा किसी कक्षा में अनुतीर्ण हो जाता है, तो रियायत बंद नहीं की जानी चाहिए।

प्र. 11 क्या वीरता पुरस्कार विजेता रेल यात्रा में किसी रियायत के हकदार हैं?

उत्तरः हां, वीरता पुरस्कार विजेता रेल यात्रा में निम्न रियायत के हकदार हैः-

1. (क) **रियायतः** फस्ट क्लास एसी-2 टीयर के पूरक कार्ड पास की सुविधा विजेताओं के लिए एक साथी के साथ सभी मेल, एक्सप्रेस, राजधानी व शताब्दी ट्रेनों में उपलब्ध है।

(ख) **पात्रताः** चक्र वीरता पुरस्कार विजेता, ऐसे पुरस्कारों के विजेताओं की विधवा समेत।

(ग) **प्रमाणः**

(1) रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) पत्र सं. ई (डब्लू) 96पीएस 5-6/22 दिनांकित 23 फरवरी 96 को 04 जुलाई, 1996 को जारी सम संख्या पत्र के साथ पढ़ा जाए।

2. (क) **रियायतः** राजधानी व शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों में सफर की सुविधा।

(ख) **पात्रताः** परम वीर चक्र, महा वीर चक्र, वीर चक्र एवं अशोक चक्र के विजेता एवं मरणोपरांत प्राप्तकर्ता की विधवाएं एवं उक्त पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की मौत के बाद उनकी विधवाएं।

(ग) **प्रमाणः** रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) पत्र सं ई (डब्लू) 2002 पीएस 5-6/99 दिनांकित 25 फरवरी 2003, एनओ ई(डब्लू) 2004/पीएस5.6/55 दिनांकित 06 अक्टूबर 2004 एवं एनओ ई(डब्लू) 2008/पीएस5-6/8 दिनांकित 09 अप्रैल 2008

3. (क) **रियायतः** मेल एवं एक्सप्रेस ट्रेनों की द्वितीय श्रेणी में यात्रा पर 75 प्रतिशत की छूट।

(ख) **पात्रताः** युद्ध विधवाएं एवं आतंकियों व चरमपंथियों के विरूद्ध लड़ते हुए शहीद होने वाले सुरक्षा कर्मियों की विधवाएं।

(ग) **प्रमाणः** पत्र सं. टीसीप्प्/2198/96/विधवाएं/नीतियां दिनांकित 20 अगस्त 2004

प्रक्रियाः पूरक पास मंडल रेलवे प्रबंधक एवं भारतीय रेल मुख्यालय द्वारा आवेदन पत्र की प्राप्ति पर जारी किए जाते हैं। आवेदन पत्र के साथ उक्त बात का अभिप्रमाणित उल्लेख दिया जाना आवश्यक है। विधवाओं के लिए, पीपीओ की अभिप्रमाणित प्रति एवं संबंधित जिला सैनिक बोर्ड/केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा जारी वैध फोटो पहचान पत्र भी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

प्र. 12 क्या वीरता पुरस्कार विजेता हवाई यात्रा में छूट के अधिकारी हैं?

उत्तरः हां, वीरता पुरस्कार विजेता हवाई यात्रा में निम्न छूट के आधिकारी हैः

1. **रियायतः**- सामान्य इकनॉमी क्लास के किराए (भारतीय मुद्रा) में इंडियन एयरलाइंस के घरेलू उड़ानों में 75 प्रतिशत की छूट।

2. **पात्रताः** स्तर-1 (परम वीर चक्र एवं अशोक चक्र) एवं स्तर-2 (महा वीर चक्र एवं कीर्ति चक्र) के प्राप्तकर्ता, स्वतंत्रता पूर्व से वीरता पुरस्कार विजेता, स्तर-1 (वीर चक्र, जॉर्ज क्रॉस) एवं स्तर-2 (विशिष्ट सेवा क्रॉस, सेना क्रॉस, विशिष्ट

फ्लाइंग क्रॉस, जॉर्ज पदक)। 1962, 1965, 1971 संघर्ष एवं ऑपरेशन विजय के विकलांग अफसर। सेवा के दौरान शहीद हुए सौन्यकर्मियों की विधवाएं।

3. **प्रमाणः**

(क) इंडियन एयरलाइंस पत्र सं. एचसीडी/8-आर/260 दिनांकित 25 जनवरी 2001

(ख) इंडियन एयरलाइंस पत्र सं. एचसीडी/8-आर/266 दिनांकित 25 जनवरी 2001

(ग) इंडियन एयरलाइंस पत्र सं. एचसीडी/8-आर/261 दिनांकित 25 जनवरी 2001

प्र. 13 क्या वीरता पुरस्कार विजेता/युद्ध विधवाएं/अपाहिज सैनिक किसी टेलीफोन रियायत के हकदार हैं?

उत्तरः हां, वे निम्न रियायत के हकदार हैः

(क) कोई स्थापना शुल्क नहीं।

(ख) चक्र श्रृंखला के वीरता पुरस्कार विजेताओं के लिए कोई किराया नहीं।

(ग) युद्ध विधवाओं एवं अपंग सैनिकों के लिए सामान्य किराये में 50 प्रतिशत की छूट।

(घ) कोई पंजीकरण शुल्क नहीं।

(ड़) गैर-ओवाईटी विशेष वर्ग के तहत टेलीफोन छूट जारी किए जाने हेतु प्राथमिकता।

3. **प्रामाणः** संचार मंत्रालय (टेलीकॉम विभाग) पत्र सः

(क) 2-47/92/पीएचए दिनांकित 13 जनवरी 2000 (परिपत्र सं. 7/2000)

(ख) 2-47/92/पीएचए दिनांकित 18 सितंबर 2000 (परिपत्र सं. 15/2000)